न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/37

1. जाकिर हुसैन पुत्र स्वर्गीय श्री घांसी खॉ उर्फ रफीक जाति मुसलमान ।
2. जरीना बानो पुत्री स्वर्गीय श्री घांसी खॉ उर्फ रफीक जाति मुसलमान ।
3. छोटा पत्नी स्वर्गीय श्री घांसी खॉ उर्फ रफीक जाति मुसलमान निवासीगण 1 लगायत 3 ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. सत्तार आत्मज उस्मान जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर हाल निवास विज्ञान नगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. अब्दुल सलीम आत्मज स्वर्गीय घांसी खॉ उर्फ रफीक जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद हाल निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
3. कनीज पुत्री उस्मान जाति मुसलमान निवासी करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार राज्य जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मनोज गौतम, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 02 के पिता व प्रतिवादी कम 01 के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.74

हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 01 की पुश्तैनी भूमि है । उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा व प्रतिवादी कम 01 के पिता उस्मान जी के खाते में दर्ज थी । उस्मान जी की मृत्यु के बाद वादीगण के पिता व प्रतिवादी कम 01 को विरासत में प्राप्त हुई है । उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी कम 02 के पिता का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी कम 01 का 1/2 हिस्सा है । ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद में वादीगण व प्रतिवादी कम 02 के पिता व प्रतिवादी कम 01 के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 686 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 688 रकबा 0.26 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 1.56 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी कम 02 के पिता घांसी खॉ का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी कम 1, 3 व 4 का का 1/2 हिस्सा है । उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी कम 02 का घांसी जी के हिस्से में जन्म से ही हक व अधिकार है । राजस्व रिकॉर्ड में घांसी खॉ उर्फ रफीक का नाम दर्ज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है । इस कारण उनके हिस्से 1/2 की भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी कम 02 का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावे तथा विभाजन में प्राप्त भूमि को पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते दर्ज करावें तथा पृथक–पृथक लगान कायम करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजी ग्राम सुल्तानपुर में एवं ग्राम डूंगरज्या के 1/2 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी कम 02 को 1/4 – 1/4 हिस्से का यानि सम्पूर्ण भूमि में वादीगण को 3/8 हिस्से का व प्रतिवादी कम 02 को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भाग को बेचान तथा अन्तरण व हस्तान्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2019 के द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2021 के द्वारा पर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में मौके की वास्तविक स्थिति को देखे बिना ही अंतिम डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में अंतिम डिक्री पारित नहीं की है। अपीलान्टगण को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अंतिम डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम दिनांक 25.01.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री प्रारम्भिक डिक्री के विपरीत पारित की है । अपीलान्ट का कब्जा दक्षिण दिशा में है । अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट का मौके पर बंटवारा 50 वर्ष पूर्व हो चुका है । पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर 50 वर्षों से काबिज काश्त हैं । अपीलान्ट के द्वारा परीक्षण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की है परन्तु उस पर सुनवाई नहीं की गई और त्रुटिपूर्ण रूप से आपत्ति खारिज कर दी गई । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.12.2019 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । पत्रावली पर ग्राम सुल्तानपुर के संलग्न बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । इसी प्रकार ग्राम डूंगरज्या के बंटवारा प्रस्ताव भी पटवारी हल्का एवं आई0एल0आर0 के द्वारा तैयार किये गये हैं । ग्राम डूंगरज्या के बंटवारा प्रस्ताव की फोटो प्रति संलग्न है, असल प्रति संलग्न नहीं है । दोनों रिपोर्टो के साथ पृथक–पृथक स्याही से पक्षकारान के हिस्सों को दर्शाते हुए नक्शा भी तैयार नहीं किया गया था । बंटवारा प्रस्ताव पर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति के हस्ताक्षर भी नहीं हैं और न ही रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है पक्षकारों को मौके पर उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये गये थे परन्तु वो मौके पर उपस्थित नहीं आये । इस प्रकार बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तैयार नहीं किया गया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा इसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री विधि– विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे पुनः विधि सम्मत अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27.8.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा